फर्द अहकाम

अनिल कुमार बनाम रा० सरकार

न्यायालय S.D.O. शाहपुरा

प्रकरण संख्या 89/2025

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/10/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं 1 लगा० 3 को जवाब हेतु प्रार्थना में उचित अवसर देने के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं 4 की तलबी हेतु पुनः तलबाना पेश हो वास्ते पेशी हेतु पत्रावली दिनांक 6/11/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)
	6/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 4 ने न्यायालय उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र बाबत पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढ़ी स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस को सुना गया। वास्ते उचित आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 20/11/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)
	20/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त हम प्रा० पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाना उचित समझते है अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाता है। फैसला अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। फैसला शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

अप्रार्थी नं. 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :– 89/2025

उनवान

1.अनिल कुमार पुत्र फोगाराम जाति कुमावत निवासी वार्ड नं0–9 रघुनाथगढ जिला सीकर (राज)

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार(भूधारक)तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर(राज)
2. सुरेश कुमार जाट पुत्र श्री बिरदूराम चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)
4. कैलाशचन्द्र शर्मा पुत्र सुगनचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सेडकाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 20/11/25

उपस्थितः– प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैकि हाल खाता संख्या 212 आराजी खं0नं0 1419/3, 1429/2,कुल किता 2 कुल रकबा 0.0878 हैक्टर वाकै ग्राम जाजैकंला पटवार हल्का जाजैकंला भू.अभि.नि.क्षेत्र रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं। प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त व अपने उपयोग–उपभोग में लेते आ रहे हैं।प्रार्थी ने दिनांक 21.05.25 को तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/2025/12640/6 दिनांक 28.04.2025 की पालना में हाल आराजी खाता संख्या 212 आराजी खं0नं0 1419/3, 1429/2,कुल किता 2 कुल रकबा 0.0878 हैक्टर वाकै ग्राम जाजैकंला पटवार हल्का जाजैकंला भू.अभि.नि.क्षेत्र रामपुरातह0 शाहपुरा जिला जयपुर का सीमाज्ञान किया गया।प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद प्रार्थीगण की आराजी खाता संख्या 212खं0नं0 1419/3, 1429/2,कुल किता 2 कुल रकबा 0.0878 हैक्टर वाकै ग्राम जाजैकंला के पास स्थित आराजी काश्तकार अप्रार्थीगण 2 लगा0 4 द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमाओ पर सींव,डोल आदि का विवाद करते रहते हैं ।अतः प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थर गढी करवाना चाहते हैं ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र पेश होने पर रिर्पोट सरिस्ता ली जाकर तथा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये रजि0 एडी से सूचित किया गया । अप्रार्थीगण 1 लगा0 3 की जरिये जरिये रजि0 एडी से तामील हो चुकी हैं लेकिन बावजूद

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

तामील के अप्रार्थीगण 1 लगा0 3 अनुपस्थित रहे एवं ना ही उनकी ओर से कोई जवाब पेश किया गया है। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अप्रार्थी संख्या 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर पत्थरगढी हेतु अपनी सहमति दी हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया प्रार्थी के द्धारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्धारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीवडोल काटने से आये दिन होने वाले विवादो की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहते हैं । पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार हैं, तथा इसके द्धारा अपनी सीमा के विवाद ,सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचाव का यह एक उपाय हैं, जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमाचिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नही कर सकते हैं ।मौके पर सीमाज्ञान होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि हाल आराजी खाता संख्या 212 आराजी ख0नं0 1419/3, 1429/2,कुल किता 2 कुल रकबा 0.0878 हैक्टर वाकै ग्राम जाजैकंला पटवार हल्का जाजैकंला भू.अभि.नि.क्षेत्र रामपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुये एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुये उनकी उपस्थिति के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 21.05.2025 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

(संजीव कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
शाहपुरा (जयपुर)